मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-4-2-2012/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—भंडार क्रय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम निविदाकार से निगोशियेसन.

संदर्भ.—वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. एफ.-4-2/2010/नियम/चार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010.

विषयान्तर्गत वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन के द्वारा शासकीय कार्यों के लिये भंडार क्रय करते समय न्यूनतम निविदाकार से निगोशियेशन किये जाने के संबंध में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पत्र दिनांक 3 मार्च, 2007 को प्रति संलग्न करते हुए सभी विभागों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था. शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि इस आदेश के निर्वचन में भिन्न-भिन्न प्रक्रियायें विभागों के द्वारा अपनाई जा रही है. इस संबंध में न्यूनतम निविदाकार से निगोशियेसन किये जाने के लिये निम्न स्थितियां स्पष्ट की जाती है:—

1. किसी भी स्थिति में न्यूनतम निविदाकार से केन्द्रीय सतर्कता आयोग के ज्ञापन दिनांक 3-3-2007 में उल्लेखित स्थितियों को छोड़कर, निगोशियेशन किया जाना प्रतिबंधित है. यदि न्यूनतम निविदाकार की दरें अनावश्यक रूप से बहुत अधिक पाई जाती है, तो पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिये.

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश दिनांक 3-3-2007 में यह स्पष्ट किया गया है कि तत्काल आवश्यकता की दृष्टि से पुनः निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, उस दौरान की अवधि के लिये न्यूनतम निविदाकार से तात्कालिक आवश्यकता की मात्रा के क्रय की कार्यवाही की जा सकती है. शेष आवश्यक क्रय की मात्रा पुनः निविदा आमंत्रित होने के पश्चात् की जानी चाहिये.

3. न्यूनतम निविदाकार से सामपत्तिक मदों (proprietary items) के लिये, ऐसी मदें जिनकी आपूर्ति सीमित प्रदायकर्ताओं द्वारा की जाती है एवं जहां यह शंका हो कि निविदाकारों के द्वारा समूह (cartel) बनाया जा रहा हो, को छोड़कर निगोशियेशन किया जाना नियमानुकूल नहीं है.

4. निगोशियेशन किये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही इसे किया जाना चाहिये तथा संपूर्ण प्रक्रिया एवं निगोशियेशन की कार्यवाही लिपिबद्ध किया जाना आवश्यक होगा.

5. प्रत्येक निविदा सूचना में यह अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जाना होगा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार ही निगोशियेशन की कार्यवाही की जायेगी.

6. निविदा सूचना में यह आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिये कि यदि न्यूनतम निविदाकार द्वारा निविदा में उल्लेखित सम्पूर्ण सामग्री की मात्रा प्रदाय नहीं की जाती है, तो शेष सामग्री की मात्रा अन्य निविदाकारों के मध्य किस अनुपात में बांटी जावेगी. निविदा सूचना में इस शर्त के न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा पारदर्शी (transparent) योग्य (Fair) एवं समान (Equitable) अवसर देते हुए प्रदाय की मात्रा का विभाजन न्यूनतम निविदाकार के अतिरिक्त अन्य निविदाकारों के मध्य किया जावेगा.

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये. यदि इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अजयनाथ)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.